



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269806
CG-DL-E-03022026-269806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]
No. 97]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 102(अ).— केंद्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 की उपधारा (2) के उप-खंड (1) और खंड (त क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र खनिज (अवैध खनन और परिवहन निवारण) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—(1) ये नियम धारा 3 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट खनिज तेलों और हाइड्रोकार्बन को छोड़कर, अपतट क्षेत्रों में सभी खनिजों पर लागू होंगे;

(2) इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:—

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे:

परंतु, खनिज का खनन, भंडारण या परिवहन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा केवल वैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान कार्य के लिए, बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य या प्रयोजन के किया जाएगा;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन, कोई विभाग, संस्थाएं या एजेंसियां केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकेंगी।

3. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 22 के स्पष्टीकरण के नीचे दिया गया है;

(ग) "बैंक प्रत्याभूति" से भारत में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्ररूप-क में जारी बैंक प्रत्याभूति है जो केंद्रीय सरकार को स्वीकार्य हो, अभिप्रेत है;

(घ) "वाहक" से परिवहन का कोई भी साधन या सुविधा अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और इसमें जलयान और पाइपलाइन शामिल हैं;

(ङ) "प्रेषिती" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे गवेषण क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से कोई खनिज भेजा जाता है;

(च) "इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली" से भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिप्रेत है, जो अपतट क्षेत्रों में परिचालन से संबंधित सूचना, डेटा, दस्तावेजों को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने, संग्रहित करने, संसाधित करने, पुनर्प्राप्त करने, संचारित करने या सत्यापित करने में सक्षम है, निरंतर, वास्तविक समय के आधार पर, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं:—

(i) जलयानों की ट्रैकिंग;

(ii) जलयान का विस्थापन या भार;

(iii) रन-ऑफ-माइन का आयतन और घनत्व; और

(iv) छवियों और वीडियो फीड की रिकॉर्डिंग;

(छ) "प्रथम निस्सरण बिंदु" से भारत में वह प्रथम तटवर्ती उतराई स्थान अभिप्रेत है जहां अपतट क्षेत्रों से निष्कर्षित खनिज को संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या वाहक के स्वामी या व्यापारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा लाया जाता है;

(ज) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "अवैध खनन" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित संक्रिया संबंधी अधिकार धारण किए बिना किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी भी अपतट क्षेत्र में या उस अपतट क्षेत्र की सीमाओं के बाहर जिसके लिए संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है, की गई कोई भी आविष्कृत संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया, अभिप्रेत है;

परंतु अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा इन नियमों के अतिरिक्त किसी अन्य नियम का उल्लंघन अवैध खनन नहीं माना जाएगा;

- (ज) "अवैध भंडारण" से अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्यथा किसी अन्य रीति से किसी खनिज का भंडारण करना अभिप्रेत है;
- (ट) "अवैध परिवहन" से किसी संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या व्यापारी या वाहक द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अन्यथा किसी अन्य रीति से किसी खनिज का निष्कासन, स्थानांतरण, अंतरण या परिवहन करना अभिप्रेत है;
- (ठ) "यांत्रिक मशीनरी" से प्रत्येक मशीनरी या प्लेटफार्म, अचल और चल दोनों शामिल, अभिप्रेत हैं, जिनका उपयोग अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से खनिज प्राप्त करने, या उसके सज्जीकरण और प्रसंस्करण में किया जाता है, जो बिजली से या अन्यथा संचालित होता है और चाहे वह संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा संचालित हो, लेकिन इसमें वाहक शामिल नहीं है;
- (ड) "संपत्ति" से औजार, गियर, उपस्कर, उपकरण, वाहक, वाहन, स्थापना, भंडार या कार्गो या कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपतट क्षेत्र से किसी खनिज का निष्कर्षण करने, परिवहन करने या निष्कर्षण के कारण या परिवहन कराने के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (ढ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ण) "व्यापारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा नकद या आस्थगित संदाय या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले खनिज की बिक्री या प्रसंस्करण हेतु खरीद, कब्जा, भंडारण, बिक्री, आपूर्ति, परिवहन, वितरण, सुपुर्दगी, निर्यात या आयात का व्यवसाय करता है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो:
 - (i) खनिज और उसके अवयवों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है;
 - (ii) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक के साथ खनिज साझाकरण समझौता करता है;
 - (iii) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक के साथ निष्कर्षण अनुबंध करता है;
 - (iv) बिक्री के लिए खनिज खरीदता और उसका प्रसंस्करण करता है; या
 - (v) संक्रिया संबंधी अधिकार रखता है;
- (त) "पारगमन परमिट" से नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन पारगमन परमिट अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

4. परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय की शक्तियां एवं कार्य।—इन नियमों में, जहां कहीं भी भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों की कोई शक्ति, कार्य या उत्तरदायित्व विनिर्दिष्ट किया गया है या भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों को कोई सूचना प्रस्तुत की जानी है, उसे परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय या उसके अधिकारियों की शक्ति, कार्य या उत्तरदायित्व माना जाएगा या परमाणु खनिजों के संबंध में सीमा मान के बराबर या उससे अधिक श्रेणी वाले खनिजों के लिए उक्त निदेशालय या उसके अधिकारियों को निम्नलिखित रीति से सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता मानी जाएगी, अर्थात्:—

- (क) भारतीय खान ब्यूरो के किसी संदर्भ को, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;
- (ख) महानियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक या खान नियंत्रक या क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के किसी संदर्भ को, निदेशक या, जैसा भी मामला हो, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

5. प्रतिषेध.—कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर खनिजों के उत्पादन, उत्खनन, भंडारण, बिक्री, परिवहन या प्रसंस्करण का कार्य बिक्री या उपभोग के उद्देश्य से नहीं करेगा या किसी भी खनिज के साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा, सिवाय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन और उसके अनुसार।

अध्याय 2

निगरानी प्रणाली

6. निगरानी प्रणाली.—(1) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या वाहक का स्वामी, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो वाहक का स्वामी है, खान के संबंध में खान डेवलपर और संचालक (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए), यंत्रीकृत मशीनरी का स्वामी और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसा अन्य व्यक्ति, स्वयं को और ऐसे वाहक तथा यंत्रीकृत मशीनरी को अपतट खनन विनियमन वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत कराएगा।

(3) किसी भी यंत्रीकृत मशीनरी या वाहक का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी यंत्रीकृत मशीनरी या वाहक का स्वामी उप-नियम (2) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो के साथ वैध रूप से पंजीकृत न हो।

7. खनिज के निर्यात के लिए संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या व्यापारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली मंजूरी.—प्रत्येक संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या व्यापारी जो अपतट क्षेत्रों से निष्कर्षित खनिज को सीधे ऐसे अपतट क्षेत्र से निर्यात करने का इच्छुक है, उसे ऐसे खनिज के निर्यात से कम से कम सात दिन पहले, यदि लागू हो, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

अध्याय 3

खनिजों का प्रेषण और परिवहन

8. अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों का प्रेषण.—(1) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक, अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी भी खनिज के प्रेषण से पहले, अपतट खनन विनियमन वेब पोर्टल पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा, अर्थात्:—

- (क) प्रेषित खनिज की मात्रा और श्रेणी;
- (ख) प्राप्तकर्ता का नाम, पता और पंजीकरण संख्या;
- (ग) खनिजों को ले जाने वाले वाहक का विवरण;
- (घ) प्रथम निष्कासन बिंदु, परिवहन के लिए अपेक्षित मार्ग और प्रथम निष्कासन बिंदु तथा गंतव्य तक के मार्ग का विवरण;
- (ङ) यदि संक्रिया संबंधी अधिकार धारक ने परिवहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सेवाएं ली हैं, तो पंजीकरण संख्या सहित वाहक के विवरण सहित वाहक के स्वामी का विवरण;
- (च) ऐसे खनिजों के संबंध में की गई स्वामिस्व और अन्य भुगतानों का विवरण;

(छ) किसी विदेशी प्रेषिती को खनिज के निर्यात के मामले में, ऐसे निर्यात के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों की एक प्रति, साथ ही नियम 7 के अंतर्गत संक्रिया संबंधी अधिकार धारक द्वारा प्राप्त मंजूरी की एक प्रति; और

(ज) ऐसे अन्य विवरण जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकें।

(2) उप-नियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सूचना की समुचित प्रविष्टि के पश्चात्, संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से प्रथम निस्सारण बिंदु तक पंजीकृत वाहक द्वारा से खनिजों के वैध परिवहन के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित पारगमन परमिट प्राप्त करना होगा, जो प्ररूप-ख में यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में और संक्रिया संबंधी अधिकार धारक द्वारा, अपतट खनन विनियमन वेब पोर्टल से, सृजन करने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा।

(3) भारतीय खान ब्यूरो, उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली राज्य सरकार को पारगमन परमिट की एक प्रति उपलब्ध कराएगा जहां प्रथम निस्सारण बिंदु स्थित है।

(4) अपतट क्षेत्रों से निष्कर्षित खनिज के प्रथम निस्सारण बिंदु से तटवर्ती पारगमन, संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या व्यापारी द्वारा, यथास्थिति, उस राज्य के लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा जिसके माध्यम से खनिज का परिवहन किया जाता है:

परंतु पट्टा क्षेत्र से प्रथम निस्सारण बिंदु तक खनिज पारगमन उप-नियम 2 के अधीन प्राप्त किए गए पारगमन परमिट के अनुसार होगा।

(5) भारतीय खान ब्यूरो, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से पारगमन परमिट को निलंबित कर सकता है, यदि—

(क) ऐसे संक्रिया संबंधी अधिकार धारक पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई बकाया या दंड लगाया गया हो और ऐसा बकाया शेष हो;

(ख) ऐसे संक्रिया संबंधी अधिकार धारक किसी अपंजीकृत वाहक का उपयोग करता हो; या

(ग) ऐसे संक्रिया संबंधी अधिकार धारक अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता हो।

(6) भारतीय खान ब्यूरो निलंबन को रद्द कर सकता है, यदि संक्रिया संबंधी अधिकार धारक उप-नियम 5 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट उल्लंघनों को सुधार लेता है।

(7) पारगमन परमिट खनिजों को ले जाने वाले प्रत्येक वाहक के लिए विशिष्ट होगा और पारगमन के दौरान हर समय पारगमन परमिट की डिजिटल हस्ताक्षरित या अधिकृत प्रति रखी जाएगी।

(8) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वह इन नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक उपस्कर स्थापित करता है, जिसमें प्रत्येक वाहक में यथाआवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली में संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए उपस्कर भी शामिल हैं।

9. निस्सारण का प्रथम बिन्दु.—(1) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या वाहक या व्यापारी का स्वामी, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि खनिजों के मापन या वजन में प्रयुक्त प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, यांत्रिक प्रणाली या तकनीकी युक्ति या उपकरण सहित पर्याप्त तौल प्रणाली, निस्सारण के प्रथम बिन्दु पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट रीति से स्थापित और अनुरक्षित की जाए।

(2) निस्सारण के प्रथम बिन्दु पर मापे गए खनिज का भार, पट्टा क्षेत्र से प्रेषण के समय खनिज के भार के तहत मापा जाएगा।

(3) खनिज की किसी भी तौल को, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूपांतरण कारक के अनुप्रयोग द्वारा शुष्क आधार पर परिवर्तित किया जाएगा।

(4) संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या वाहक या व्यापारी का स्वामी, जैसा भी मामला हो, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को निस्सरण के प्रथम बिन्दु पर स्थापित तौल प्रणाली का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

10. प्रेषिती के दायित्व.—खनिज की प्राप्ति के बाद, प्रेषिती, पारगमन परमिट में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार प्राप्त खनिज की मात्रा और श्रेणी का सत्यापन करेगा और प्राप्त खनिजों के संबंध में रसीद रखेगा और उसका अभिलेख रखेगा।

11. वाहक के स्वामी और संचालक के दायित्व.—(1) प्रत्येक मालिक और वाहक का ऑपरेटर, वाहक में निम्नलिखित को ले जाएगा, अर्थात्:—

- (क) स्वचालित स्थान ट्रेकिंग और रिपोर्टिंग में सक्षम विधिवत कार्यशील उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का भाग होगा;
 - (ख) स्वचालित पहचान प्रणाली, जो इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का हिस्सा होगी और बिना किसी रुकावट के अपनी भौगोलिक स्थिति को प्रसारित करने में सक्षम होगी; और
 - (ग) वैध पारगमन परमिट।
- (2) वाहक नियम (8) के उप-नियम (1) के खंड (घ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परिवहन मार्ग का अनुसरण करेगा।
- (3) भारतीय खान ब्यूरो खनिजों के परिवहन के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है।

12. खनिज का भंडारण.—कोई भी व्यक्ति अपतट क्षेत्रों से निष्कर्षित या प्राप्त किए गए खनिज का भंडारण उस राज्य, जिसमें भंडारण सुविधा स्थित है, में लागू विधियों के अन्यथा किसी अन्य रीति से नहीं करेगा।

13. भारतीय खान ब्यूरो को विवरण प्रदान करने का दायित्व.—भारतीय खान ब्यूरो, निर्देश दे सकेगा:—

- (क) खनिज ले जाने वाले वाहक या व्यापारी के स्वामी या संचालक को जानकारी प्रदान करने और प्रकट करने के लिए, जिसमें मात्रा, गुणवत्ता, अंतिम गंतव्य, वाहक या व्यापारी या व्यक्ति का विवरण जिसकी ओर से खनिज भेजे गए हैं और संबंधित मूल्य की जानकारी शामिल है।
- (ख) कोई प्रेषिती जो अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र से भेजे गए खनिजों को प्राप्त करता है ताकि मात्रा, गुणवत्ता, भंडारण के स्थान और संबंधित मूल्य जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके और प्रकट की जा सके।

अध्याय 4

निरीक्षण, अभिग्रहण और विमुक्ति

14. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण और सत्यापन.—प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी संक्रिया संबंधी अधिकार धारक या व्यापारी के खनिजों के स्टॉक का निरीक्षण, सत्यापन, जांच और नमूने लेने की शक्ति होगी, जिसमें पारगमन और खनिज के खाते और उससे संबंधित कोई अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं।

15. संपत्ति का अभिग्रहण.—(1) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अभिग्रहण और निरोध की शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी:—

- (क) वाहक, खान या किसी अन्य संपत्ति का फोटो खींचेगा और ऐसे वाहक, खान या किसी अन्य संपत्ति पर ऐसी रीति से, जैसा निर्धारित किया जाए, चिह्न लगाएगा, जो यह दर्शाता हो कि उसे इस प्रकार अभिग्रहीत और निरुद्ध किया गया है;

(ख) प्ररूप-ग में विनिर्दिष्ट रूपविधान में सूचना जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा जिससे वाहक, खान या कोई अन्य संपत्ति अभिग्रहीत और निरुद्ध की गई है।

(2) धारा 22 की उपधारा (5) के खंड (क) के परंतुक के अनुसार निर्मुक्त किए जाने के लिए आदेशित वाहक, खान या कोई अन्य संपत्ति, प्ररूप-क में विनिर्दिष्ट रूपविधान में नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त की जा सकेगी।

16. कुछ मामलों में सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रसंस्कृत खनिजों सहित खनिजों का निपटान.—किसी प्राधिकृत अधिकारी के लिए अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अभिग्रहीत और अधिहृत किसी भी खनिज को सार्वजनिक नीलामी द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से बेचना वैध होगा और ऐसी बिक्री से प्राप्त रकम भारत की संचित निधि में केंद्रीय सरकार के पास जमा की जाएगी।

17. इन नियमों के प्रवर्तन में सहायता करने वाले प्राधिकारी.—प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और किसी प्राधिकृत अधिकारी को इन नियमों के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, संबंधित राज्य सरकार के पुलिस बल या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

अध्याय 5

अपील और शास्तियां

18. अपील.—इन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन महीने के भीतर, अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 के अध्याय 10 या अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के अध्याय 9 के उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

19. शास्तियां और वसूली.—(1) इन नियमों का कोई भी उल्लंघन, ऐसे उल्लंघनों को छोड़कर जो अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) से उपधारा (3) के अधीन अपराध के रूप में शामिल हैं, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी या पचास लाख रुपये का जुर्माना, जो एक करोड़ रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और जारी उल्लंघन की स्थिति में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच लाख रुपये तक हो सकेगा।

(2) जब कभी कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार से, किसी खनिज के अवैध खनन, अवैध परिवहन या अवैध भंडारण में संलग्न होता है और उस प्रयोजन के लिए किसी उपकरण, उपस्कर, वाहक या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन विहित दंडों के अतिरिक्त और इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए;—

(क) ऐसे व्यक्ति के संचालन अधिकार, वाहक, यंत्रीकृत मशीनरी या ऐसे व्यापारी या खान डेवलपर और प्रचालक के संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा या पंजीकरण को रद्द करने के लिए केंद्रीय सरकार से सिफारिश की जा सकती है, जैसा कि नियम 6 के उप-नियम (2) के अनुसरण में प्रदान किया जा सकता है;

(ख) खनिजों के निष्कर्षण, परिवहन या भंडारण में ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित ऐसे उपकरण, उपस्कर, वाहक या किसी अन्य वस्तु को अभिग्रहीत कर सकता है।

20. अभिलेखों का रखरखाव.—प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप-घ में विनिर्दिष्ट रूपविधान में समेकित अभिलेख का मिलान, संकलन और रखरखाव करेगा तथा उसमें इन नियमों के अधीन किए गए प्रत्येक अपराध का ब्यौरा अंकित करेगा।

प्ररूप-क

बैंक प्रत्याभूति का प्रारूप

(नियम 3(1)(ग) और 15(2) देखें)

सेवा में

[उस संस्था का नाम शामिल किया जाए, जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है]

जबकि,

- क. [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारत में शामिल किया गया है और जिसकी कॉर्पोरेट पहचान सं. [सीआईएन] है, जिसका पंजीकृत कार्यालय (पंजीकृत कार्यालय का पता), भारत में है और व्यवसाय का मुख्य स्थान [व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से भिन्न हो] है, को [बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति तारीख] ("समाप्ति तारीख") तक वैध भारतीय रुपये [अंक] (भारतीय रुपये [शब्द]) के बराबर रकम की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभूति प्रदान करना आवश्यक है।
- ख. अपतट क्षेत्र खनिज (अवैध खनन और परिवहन निवारण) नियम, 2026 ("नियम") के नियम 15 के अधीन कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को बैंक प्रत्याभूति प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
- ग. हम, [बैंक का नाम] ("बैंक") [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] के अनुरोध पर, इसके द्वारा [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को भारतीय रुपये [अंक] (भारतीय रुपये [शब्द]) ("प्रत्याभूति रकम") से अधिक नहीं की रकम का संदाय करने का वचन देते हैं, ताकि [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] की मांग पर, इसमें निहित नियमों और शर्तों पर दायित्वों को सुरक्षित किया जा सके [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है]

अतः अब, बैंक इस प्रकार (उस संस्था का नाम जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है, शामिल किया जाना है) के पक्ष में [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति जप्त की गई है] की ओर से प्रत्याभूत रकम के लिए यह अप्रतिसंहरणीय और बिना शर्त संदाय बैंक प्रत्याभूति ("प्रत्याभूति") जारी करता है:

1. इस प्रयोजन के लिए बैंक बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, केवियट, विरोध या अवलंबन के, [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] से पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर, राशि या राशियों (एक या अधिक दावों के माध्यम से) का संदाय करने का वचन देता है, जो कुल मिलाकर प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगी, बिना [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को इसमें विनिर्दिष्ट राशि के लिए किसी भी मामले में ऐसी मांग के आधार या कारण बैंक को साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के बिना और [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] और [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] बैंक [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को इस प्रकार मांगी गई किसी भी रकम का संदाय करने का वचन देता है, भले ही [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] द्वारा किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद या विवादों के बावजूद, इस मामले के अधीन बैंक की देयता पूर्ण और स्पष्ट है।
2. बैंक स्वीकार करता है कि [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] द्वारा बैंक द्वारा [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को देय रकमों की ऐसी कोई भी मांग नियमों के तहत [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] द्वारा [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को देय रकमों के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इसके द्वारा [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] से उपरोक्त रकम या उसके किसी भाग की मांग करने की आवश्यकता को माफ करता है और साथ ही बैंक को इस प्रत्याभूति के तहत संदाय के लिए बैंक को कोई लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] को [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] के विरुद्ध अपने विधिक उपायों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के किसी भी अधिकार को माफ करता है।
4. बैंक इसके अलावा बिना शर्त [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] के साथ सहमत है कि [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है], बैंक की सहमति के बिना और इस प्रत्याभूति के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, समय-समय पर, नियमों के अधीन [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] के विरुद्ध [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार को छोड़ने या लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक को [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] की ओर से ऐसे किसी भी कार्य या चूक के कारण या [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] द्वारा [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] के प्रति किसी भी तरह की रियायत या अन्य कोई भी चीज जो निश्चित संबंधों से संबंधित विधि के अधीन, लेकिन इस उपबंध के बिना, इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक को अपने दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव डालती है, के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।
5. इसके अधीन किया गया कोई भी संदाय किसी भी प्रकार के वर्तमान या भविष्य के करों, उद्ग्रहण, अधिरोपण, शुल्कों, प्रभारों, फीसों, कमीशनो, कटौतियों या रोक के लिए या उसके कारण कटौती के बिना और बिना किसी कटौती के किया जाएगा।
6. बैंक इस बात से सहमत है कि [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है], अपने विकल्प पर, [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] के विरुद्ध पहली बार कार्यवाही किए बिना, पहली बार में प्रमुख देनदार के रूप में बैंक के विरुद्ध इस प्रत्याभूति को लागू करने का हकदार होगा।
7. बैंक आगे इस बात पर भी सहमत है कि इसमें निहित प्रत्याभूति नियमों में निर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक नियमों के नियम 15 के संबंध में नियमों के अधीन या उसके आधार पर [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] के सभी दायित्वों का पूरी तरह से संदाय नहीं कर दिया जाता और उसके दावों की पूर्ति या निर्वहन नहीं कर दिया जाता या जब तक [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] यह प्रमाणित नहीं कर देता कि नियमों के नियम 15 के संबंध में नियमों के उपबंधों का [उस व्यक्ति का नाम जिसकी संपत्ति अभिग्रहीत की गई है] द्वारा पूरी तरह और उचित रूप से पालन किया गया है और तदनुसार, इस प्रत्याभूति का निर्वहन करता है। इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, जब तक कि समाप्ति तारीख को या उससे पहले बैंक पर इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग या दावा लिखित रूप में नहीं किया जाता है, उसके बाद बैंक इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया संदाय, इसके अधीन संदाय हेतु बैंक के दायित्व का वैध निर्वहन होगा और किसी भी व्यक्ति का ऐसे संदाय के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
9. यह प्रत्याभूति भारत की विधियों के अधीन है। इस प्रत्याभूति या इसके विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी वाद, मुकदमा या अन्य कार्यवाही, नई दिल्ली, भारत स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।
10. बैंक यह अभिवेदन करता है कि उसके पास [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] के पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी करने का अधिकार और शक्ति है। बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण यह प्रत्याभूति समाप्त नहीं होगी।
11. बैंक यह वचन देता है कि वह इस प्रत्याभूति को इसके प्रचलन के दौरान [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] की लिखित पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेगा।

12. [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है], बैंक को पूर्व सूचना देकर, इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार किसी अन्य विभाग, मंत्रालय या किसी सरकारी अभिकरण को सौंप सकता है, जो [उस संस्था का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] के नाम पर कार्य कर सकती है। इस खंड 12 में अधीन प्रावधानों को छोड़कर, यह प्रत्याभूति किसी को सौंपी या अंतरित नहीं की जा सकती।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी:

(क) इस प्रत्याभूति के अंतर्गत बैंक की देयता प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगी; और

(ख) यह प्रत्याभूति समाप्ति तारीख तक विधिमान्य रहेगी।

14. बैंक इस प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूत रकम या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए केवल तभी उत्तरदायी होगा जब [उस इकाई का नाम शामिल किया जाए जिसके पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी की जानी है] बैंक को समाप्ति तारीख पर या उससे पहले लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करे।

बैंक के लिए [दिन] [महीने] [वर्ष] का दिन।

जिसके साक्ष्य में बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

(हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

(बैंक की मुहर)

प्ररूप-ख

ट्रांजिट परमिट का रूपविधान

[नियम 8(2) देखें]

क्र. सं.	मद	विवरण
1	संक्रिया संबंधी अधिकार धारक / खान डेवलपर और ऑपरेटर कोड	
2	संक्रिया संबंधी अधिकार धारक / खान डेवलपर और ऑपरेटर पंजीकरण सं.	
3	संक्रिया संबंधी अधिकार धारक / खान डेवलपर और संचालक टीआईएन सं.	
4	पंजीकृत संक्रिया संबंधी अधिकार धारक / खान डेवलपर और संचालक का नाम	
5	पते और संपर्क का विवरण	
6	अपतट पट्टा क्षेत्र का विवरण	
7	खनिज का नाम	
8	खनिज ग्रेड	
9	खनिज की मात्रा (अंक में, मीट्रिक टन में)	
10	खनिज की मात्रा (शब्दों में, मीट्रिक टन में)	
11	स्वामिस्व	
12	ओएमईटी	
13	नीलामी प्रीमियम	
14	अन्य संदाय (यदि लागू हो)	

क्र. सं.	मद	विवरण
15	जलयान का विवरण	
16	इलेक्ट्रॉनिक पहचान/ट्रैकिंग उपकरण	
17	गंतव्य पतन/तटीय सुविधा/निकासी का पहला बिंदु	
18	क्रेता/व्यापारी का नाम	
19	क्रेता/व्यापारी पंजीकरण सं.	
20	क्रेता/व्यापारी का पता	
21	कप्तान का नाम	
22	कप्तान की अनुज्ञप्ति सं.	
23	यात्रा प्रारंभ तारीख	
24	अपेक्षित यात्रा मार्ग	
25	यात्रा समाप्ति तारीख	
26	दूरी (समुद्री मील और किमी में)	
27	क्या खनिज निर्यात किया गया है?	
28	यदि हां, तो सीमा शुल्क दस्तावेज़ (जैसे, शिपिंग) बिल) संलग्न	
29	सुरक्षा और निरीक्षण मंजूरी संलग्न	
30	क्या भारत के बाहर अपतट क्षेत्रों से निष्कर्षित खनिजों के निर्यात के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से मंजूरी प्राप्त की गई है?	
31	पारगमन परमिट सृजित करना	

प्ररूप-ग

वाहक, खान या किसी अन्य संपत्ति को अभिग्रहीत करने के संबंध में सूचना का प्ररूप
[नियम 15(1)(ख) देखें]

तारीख []

सेवा में

(पता)

ध्यान दें कि निम्नलिखित संपत्ति (संपत्तियां) जो अपतट क्षेत्र खनिज (अवैध खनन एवं परिवहन निवारण) नियम, 2026 के अधीन तारीख (तारीख) को किए गए अपराध में शामिल थी/थीं, श्री
पदनाम द्वारा अभिग्रहीत कर ली गई है और अधोहस्ताक्षरी की अभिरक्षा में रखी गई है। अभिग्रहीत की जा रही संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मद विवरण	विवरण
1.	अभिग्रहीत किए गए वाहक, खान या किसी अन्य संपत्ति का विवरण।	
क.	अभिग्रहीत का स्थान, तारीख और समय सहित।	
ख.	प्रत्येक वाहक, खान या संपत्ति का विवरण।	
2.	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे वाहक, खान या संपत्ति अभिग्रहीत की गई है।	

क्र. सं.	मद विवरण	विवरण
3.	अभिग्रहीत किए गए वाहक, खान या संपत्ति के किसी अन्य दावेदार का नाम और पता।	
4.	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके संरक्षण में अभिग्रहीत किया गया वाहक, खान या संपत्ति रखी गई है।	
5.	क्या जिस व्यक्ति की संपत्ति अभिग्रहीत की गई है, वह भारतीय खान ब्यूरो/अपतट खनन विनियमन वेब पोर्टल पर पंजीकृत है।	(हाँ/नहीं)
6.	यदि हां, तो जिस व्यक्ति की संपत्ति अभिग्रहीत की गई है, उसका पंजीकरण सं. प्रदान किया जाए।	
7.	अभिग्रहीत किए गए वाहक, खान या संपत्ति का अनुमानित मूल्य।	
8.	खनिजों का नाम और अनुमानित मात्रा।	
9.	टिप्पणियाँ।	

यदि आप इस मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित पते पर लिखित रूप से इसकी सूचना दें।

()
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम और पता सहित

()
अभिरक्षक के हस्ताक्षर
पदनाम और पता सहित

प्ररूप-घ

अपराधों का रिकॉर्ड रखने का रूपविधान (नियम 20 देखें)

क्र. सं.	शिकायत सं.	अपराध की तारीख	अभियुक्त का नाम	अपराध का प्रकार (खनन, भंडारण, परिवहन से संबंधित)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	अपराध में शामिल संपत्ति	घटना का स्थान (निर्देशांक या विवरण)	अपराध का पता लगाने वाला अधिकारी	अपराध के लिए संदाय (भारतीय रुपये में)	संदाय के लिए ट्रेजरी चालान की सं. और तारीख	अपराध को शमन करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी

[फा. सं. एम. VI-16/28/2025-खान VI]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2026

G.S.R. 102(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (pa) of sub-section (2) of section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER 1**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral (Prevention of Illegal Mining and Transportation) Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—(1) These rules shall apply to all minerals in the offshore areas, except mineral oils and hydrocarbons as specified in sub-section (1) of section 3;

(2) Nothing contained in these rules shall apply to—

(a) any person or class of persons as the Central Government may, by an order, specify in this behalf:

Provided that the mineral shall be mined, stored or carried by such person or class of persons only for the purpose of scientific test and research work without any commercial motive or purpose;

(b) any department, institution or agency as may be notified by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 5.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);

(b) “authorised officer” shall have the meaning as assigned to it under the Explanation to section 22;

(c) “bank guarantee” means a bank guarantee issued in Form-A by any nationalised bank in India acceptable to the Central Government;

(d) “carrier” means any mode of conveyance or facility by which a mineral is transported from one place to another and includes a vessel and pipeline;

(e) “consignee” means the person to whom any mineral from the licence area or lease area is dispatched to;

(f) “electronic monitoring system” means an electronic system, as specified by the Indian Bureau of Mines, capable of automatically recording, storing, processing, retrieving, communicating or verifying information, data, documents relating to operations in offshore areas, continuously, on a real-time basis, including but not limited to—

(i) tracking of vessels;

(ii) displacement or weight of vessel;

(iii) volume and density of run-of-mine; and

(iv) recording of images and video feed;

(g) “first point of discharge” means the first onshore unloading location in India where the mineral extracted from the offshore areas is brought in by the holder of the operating right or an owner of a carrier or a trader, as the case may be;

(h) “Form” means a form appended to these rules;

(i) “illegal mining” means any reconnaissance operation or exploration operation or production operation undertaken by any person or company in any offshore area without holding an operating right as required under sub-section (1) of section 5 or, outside the boundaries of the offshore area for which the operating right has been granted:

Provided that violation of any rules, other than these rules, within the licence area or lease area, by a licensee or a lessee shall not be construed as illegal mining;

- (j) “illegal storage” means the storage of any mineral otherwise than in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder;
- (k) “illegal transportation” means the removal, shifting, transfer or transport of any mineral by any holder of an operating right or trader or carrier otherwise than in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder;
- (l) “mechanised machinery” means and includes each and every machinery or platform, both immovable and movable, used in the winning of a mineral from the licence area or lease area, or beneficiation and its processing, run on electricity or otherwise and whether owned or operated by the holder of an operating right or any other person but excludes a carrier;
- (m) “property” means tools, gear, equipment, appliance, carrier, vehicle, installation, stores or cargo or any other thing used by any person to extract, transport or cause to be extracted or transported any mineral from any offshore area;
- (n) “section” means a section of the Act;
- (o) “trader” means any person who carries on the business of buying, possessing, storing, selling, supplying, transporting, distributing, delivering, exporting or importing for sale or processing of mineral, directly or otherwise for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration, and includes a person who—
 - (i) uses mineral and its ingredients as a raw material;
 - (ii) has a mineral sharing agreement with the holder of an operating right;
 - (iii) has an extraction contract with the holder of an operating right;
 - (iv) buys and processes mineral for sale; or
 - (v) holds an operating right;
- (p) “transit permit” means the transit permit within the meaning of sub-rule (2) of rule 8.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or rules made thereunder.

4. Powers and functions of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.— Throughout these rules, wherever any power, function or responsibility of the Indian Bureau of Mines or its officers is specified or any information is to be submitted to the Indian Bureau of Mines or its officers, the same shall be deemed as power, function or responsibility of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or its officers or requirement of submission of information to the said Directorate or its officers for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, in the following manner, namely:—

- (a) any reference to the Indian Bureau of Mines, shall be deemed to be reference to the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research;
- (b) any reference to the Controller General or the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines, shall be deemed to be reference to the Director or as the case may be, the authorised officer of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

5. Prohibitions.—No person shall carry on production operations, excavation, storage, sale, transportation, or processing of minerals at any place for the purpose of sale or consumption or otherwise deal with any mineral, except under and in accordance with the Act and the rules made thereunder.

CHAPTER II

MONITORING SYSTEM

6. Monitoring system.—(1) The holder of an operating right or an owner of a carrier, as the case may be, shall deploy an electronic monitoring system.

(2) Any person or company who is an owner of a carrier, a mine developer and operator (by whatever name called) in respect of a mine, owner of a mechanised machinery and such other person as may be specified by the Indian Bureau of Mines shall cause himself and such carrier and mechanised machinery to be registered online on the offshore mining regulation web portal.

(3) No mechanised machinery or carrier shall be used unless the owner of such mechanised machinery or carrier is validly registered with the Indian Bureau of Mines in accordance with sub-rule (2).

7. Clearance to be obtained by a holder of an operating right or trader for export of mineral.—Every holder of an operating right or trader who is desirous of exporting mineral extracted from offshore areas, directly from such offshore area, shall procure a clearance from the Central Board of Indirect Taxes and Customs, if applicable, at least seven days prior to exporting such mineral.

CHAPTER III DISPATCH AND TRANSPORTATION OF MINERALS

8. Dispatch of mineral outside the licence area or lease area.— (1) A holder of an operating right shall, prior to dispatch of any mineral outside the licence area or lease area, provide the following information on the offshore mining regulation web portal, namely:—

- (a) quantity and grade of mineral dispatched;
- (b) name, address and registration number of the consignee;
- (c) particulars of the carrier carrying the mineral;
- (d) the first point of discharge, expected route for transportation and the particulars of the route to the first point of discharge and to the destination;
- (e) if the holder of the operating right has availed services of any other person for transportation, then particulars of the owner of the carrier along with the details of the carrier including the registration number;
- (f) particulars of royalty and other payments made with respect to such mineral;
- (g) in case of export of the mineral to an overseas consignee, a copy of the documents submitted with the Central Board of Indirect Taxes and Customs with respect to such export along with a copy of the clearance obtained by the holder of an operating right under rule 7; and
- (h) such other particulars as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

(2) Upon proper entry of information specified under sub-rule (1), the holder of an operating right shall obtain a digitally signed transit permit for lawful transportation of mineral through a registered carrier, from the licence area or lease area to the first point of discharge, in the format specified in Form-B and such permit shall be available for generation or download, as the case may be, by the holder of an operating right from the offshore mining regulation web portal.

(3) The Indian Bureau of Mines shall furnish a copy of the transit permit to the State Government having jurisdiction over the location where the first point of discharge is situated.

(4) The onshore transit of mineral extracted from the offshore areas, from the first point of discharge shall be undertaken by the holder of an operating right or trader, as the case may be, in accordance with the applicable laws of the State through which the mineral is transported:

Provided that the transit of mineral from the lease area to the first point of discharge shall be in accordance with the transit permit obtained under sub-rule (2).

(5) The Indian Bureau of Mines may, for reasons to be recorded in writing, suspend the transit permit in case,—

- (a) any dues or penalties have been levied by the authorised officer on such holder of operating right and such dues are outstanding;
- (b) the holder of such operating right uses an unregistered carrier; or
- (c) the holder of such operating right contravenes the provisions of the Act or the rules made thereunder.

(6) The Indian Bureau of Mines may revoke the suspension in case the holder of the operating right rectifies the violations specified under sub-rule (5).

(7) The transit permit shall be specific to each carrier carrying the mineral and at all times during transit, a digitally signed or authorised copy of the transit permit shall be retained.

(8) The holder of an operating right shall ensure that it installs such equipment as may be necessary to comply with these rules, including equipment to enter relevant information in the electronic monitoring system, as required in each carrier.

9. First point of discharge.—(1) The holder of operating right or the owner of the carrier or trader, as the case may be, shall ensure that adequate weight system, including each and every electronic system, mechanical system or technological device or implement utilised in measurement or weighment of mineral, at the first point of discharge is installed and maintained in the manner specified by the Indian Bureau of Mines from time to time.

(2) The weight of the mineral measured at the first point of discharge shall be measured against the weight of the mineral at the time of dispatch from the lease area.

(3) Any weighment of mineral shall be converted on a dry basis by application of a conversion factor, as specified by the Indian Bureau of Mines based on scientific study.

(4) The holder of operating right or the owner of the carrier or trader, as the case may be, shall allow officers authorised by the Indian Bureau of Mines to inspect the weighment system installed at the first point of discharge.

10. Obligations of the consignee.—The consignee, after receipt of the mineral shall verify the quantity and grade of such mineral received against the details specified in the transit permit and shall keep the receipt in respect of the mineral received and maintain records thereof.

11. Obligations of the owner and operator of a carrier.—(1) Every owner and operator of a carrier shall carry in the carrier, the following, namely:—

- (a) a duly working device capable of automatic location tracking and reporting, which shall be a part of the electronic monitoring system;
- (b) an automated identification system which shall be a part of the electronic surveillance system and shall be capable of transmitting its geographical position without any interruption; and
- (c) a valid transit permit.

(2) The carrier shall follow the transportation route as specified under clause (d) of sub-rule (1) of rule 8.

(3) The Indian Bureau of Mines may impose additional conditions with respect to carriage of mineral.

12. Storage of mineral.—No person shall store mineral extracted or procured from offshore areas otherwise than in accordance with applicable laws of the State in which the storage facility is located.

13. Obligation to provide details to Indian Bureau of Mines.—The Indian Bureau of Mines, may direct—

- (a) an owner or operator of a carrier or a trader carrying mineral to provide and disclose information, including information regarding the quantity, quality, end destination, details of the carrier or trader or person on whose behalf mineral has been dispatched and related price information;
- (b) a consignee who receives mineral dispatched from the licence area or lease area to provide and disclose information regarding the quantity, quality, location of storage and related price information.

CHAPTER IV INSPECTION, SEIZURE AND RELEASE

14. Inspection and verification by authorised officer.—The authorised officer shall have the power to inspect, verify, check and draw samples of the stocks of mineral of any holder of operating right or trader, at any place including in transit and accounts of mineral and any other documents relating thereto.

15. Seizure of property.—(1) Every authorised officer, exercising powers of seizure and detention under sub-section (3) of section 22 shall,—

- (a) photograph the carrier, mine or any other property and place on such carrier, mine or any other property a mark in such manner as may be determined, indicating that the same has been so seized and detained;
- (b) issue a notice in the format specified in Form-C informing the person from whom the carrier, mine or any other property is seized and detained.

(2) A carrier, mine or any other property ordered to be released in accordance with the proviso to clause (a) of sub-section (5) of section 22, may be so released upon furnishing security in the form of cash or a bank guarantee in the format specified in Form-A.

16. Disposal of mineral including processed mineral by public auction in certain cases.— It shall be lawful for an authorised officer to sell in a fair and transparent manner, by public auction, any mineral seized and detained in accordance with the provisions of the Act and these rules and the proceeds of such sale shall be deposited with the Central Government in the Consolidated Fund of India.

17. Authorities to aid in enforcement of these rules.—The administering authority, the Indian Bureau of Mines and any authorised officer shall be aided by the Indian Navy, Indian Coast Guard, the police force of the relevant State Government or any other government authority in administering, implementation and enforcement of these rules.

CHAPTER V APPEAL AND PENALTIES

18. Appeal.—Any person aggrieved by an action taken by any authorised officer in exercise of the powers conferred under these rules may, within three months of the date of such action, prefer an appeal to the Central Government in accordance with the provisions of Chapter X of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024 or Chapter IX of the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, as the case may be.

19. Penalties and recovery.—(1) Any contravention of these rules, except for such contraventions which are covered as offence under sub-section (1) to sub-section (3) of section 23 of the Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine of fifty lakh rupees, which may extend to one crore rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to five lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

(2) Whenever any person, in any manner whatsoever, engages in illegal mining, illegal transportation or illegal storage of any mineral and for that purpose uses any tool, equipment, carrier or any other thing, the authorised officer may, in addition to the penalties prescribed under sub-rule (1) above and subject to the provisions of this rule thereof,—

- (a) recommend to the Central Government for cancellation of the composite licence or production lease or registration of such person in respect of its operating right, carrier, mechanised machinery or of such trader or mine developer and operator as may be granted pursuant to sub-rule (2) of rule 6 thereof;
- (b) seize such tool, equipment, carrier or any other thing employed by such person in extracting, transporting or storing of mineral.

20. Maintenance of records.— The authorised officer shall collate, compile and maintain a consolidated record in the format specified in Form-D and shall mention therein, the details of every offence committed under these rules.

FORM-A FORMAT OF BANK GUARANTEE

[See rules 3(1)(c) and 15(2)]

To

[Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included]

WHEREAS,

A. [Name of the person whose property is seized] incorporated in India under the Companies Act, 2013 with corporate identity number [CIN], whose registered office is at (address of registered office), India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office]¹ is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) valid until [date of expiry of bank guarantee] ("Expiry Date").

B. The Bank Guarantee is required to be provided to [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] for discharge of certain obligations under Rule 15 of the Offshore Areas Mineral (Prevention of Illegal Mining and Transportation) Rules, 2026 ("Rules").

C. We, [name of the bank] (the "Bank") at the request of [Name of the person whose property is seized] do hereby undertake to pay to the [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) ("Guarantee Amount") to secure the obligations of [Name of the person whose property is seized] on demand from the [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of (Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included) this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the "Guarantee") on behalf of [Name of the person whose property is seized] for the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included], a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between [Name of

¹ Note: Suitable changes to be made to the above text in the event the guarantee is provided for any other category of persons

entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] and [Name of the person whose property is seized] on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by [Name of the person whose property is seized] in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] of the amounts payable by the Bank to [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by [Name of the person whose property is seized] to [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] under the Rules.

3. The Bank hereby waives the necessity for [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] from demanding the aforesaid amount or any part thereof from [Name of the person whose property is seized] and also waives any right that the Bank may have of first requiring [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] to pursue its legal remedies against [Name of the person whose property is seized], before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] that [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time, to forbear or enforce any of the rights exercisable by [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] against [Name of the person whose property is seized] under the Rules and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] or any indulgence by [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] to [Name of the person whose property is seized] or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included], at its option, shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against [Name of the person whose property is seized].

7. The Bank further agrees that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Rules and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of [Name of the person whose property is seized] under or by virtue of the Rules with respect to rule 15 of the Rules have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] certifies that the provisions of the Rules with respect to rule 15 of the Rules have been fully and properly carried out by [Name of the person whose property is seized] and accordingly, discharges this Guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this Guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date, the Bank shall be discharged from all liability under this Guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at New Delhi, India.

10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included]. This Guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] in writing.

12. [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included]. Save as provided in this clause 12, this Guarantee shall not be assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein:

- (a) the liability of the Bank under this Guarantee shall not exceed the Guarantee Amount; and
- (b) this Guarantee shall be valid up to the Expiry Date.

14. The Bank is liable to pay the Guaranteed Amount or any part thereof under this Guarantee only and only if [Name of entity in whose favor this guarantee is to be issued to be included] serves upon the Bank, a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorized officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

FORM-B
FORMAT OF TRANSIT PERMIT

[See rule 8(2)]

Sr. No.	Item	Particulars
1	Operating Rights Holder / Mine Developer and Operator Code	
2	Operating Rights Holder / Mine Developer and Operator Registration No.	
3	Operating Rights Holder / Mine Developer and Operator TIN No.	
4	Name of Registered Operating Rights Holder / Mine Developer and Operator	
5	Address and Contact Details	
6	Offshore Lease Area Details	
7	Name of Mineral	
8	Mineral Grade	
9	Quantity of Mineral (in figure, in MT)	
10	Quantity of Mineral (in words, in MT)	
11	Royalty	
12	OMET	
13	Auction Premium	
14	Other Payments (if applicable)	
15	Vessel Details	
16	Electronic Identification/Tracking Device	
17	Destination Port / Onshore Facility / First point of Discharge	
18	Name of Purchaser/ trader	
19	Purchaser/trader Registration No.	
20	Purchaser/trader Address	
21	Captain's Name	
22	Captain's License No.	
23	Journey Start Date	

Sr. No.	Item	Particulars
24	Expected Journey Route	
25	Journey End Date	
26	Distance (in nautical miles and km)	
27	Is mineral exported	
28	If yes, customs documentation (e.g., shipping bill) attached	
29	Safety and Inspection Clearance Attached	
30	Whether a clearance has been obtained from the Central Board of Indirect Taxes and Customs in respect of export of mineral, extracted from offshore areas, outside of India	
31	Generate Transit Permit	

FORM-C**FORM OF NOTICE REGARDING SEIZING OF CARRIER, MINE OR ANY OTHER PROPERTY***[See rule 15(1)(b)]*

Dated []

To

(Address)

Take notice that the following property(ies) which was/were involved in offence committed under the Offshore Areas Mineral (Prevention of Illegal Mining and Transportation) Rules, 2026 on (date) has been seized and detained by Shri. Designation..... and kept under the custody of the undersigned. The details of the property being seized are as under:

Sr. No.	Item Details	Particulars
1.	Details of carrier, mine or any other property seized.	
a.	Place of seizure with date and time.	
b.	Description of each carrier, mine or property.	
2.	Name and address of person from whom the carrier, mine or property is seized.	
3.	Name and address of any other claimant for the seized carrier, mine or property.	
4.	Name and address of person under whose custody the seized carrier, mine or property has been kept.	
5.	Whether the person whose property has been seized, is registered with the Indian Bureau of Mines/ offshore mining regulation web portal.	(Yes/No)
6.	If yes, then registration number of the person whose property is seized, to be provided.	
7.	Approximate value of the seized carrier, mine or property.	
8.	Name and approx. Quantity of mineral.	
9.	Remarks.	

In case you want to be heard in person in the matter, you are hereby asked to convey the same in writing within 15 days from date of issue of this notice at the following address.

()

Signature of authorised Officer.

with designation and address.

()

Signature of the Custodian.

with designation and address.

FORM-D
FORMAT FOR KEEPING RECORD OF OFFENCES

(See rule 20)

Sr. No.	Complaint No.	Date of Commission of Offence	Name of Accused	Type of offence (relating to Mining, Storage, Transportation)	Brief Description of Offence	Property Involved in Offence	Place of Occurrence (Coordinates or Description)	Officer Detecting the Offence	Payment for Offence (in INR)	No. and Date of Treasury Challan for Payment	Signature of Authority Compounding the Offence	Remarks

[F. No. M.VI-16/28/2025-Mines VI]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor